क्रम-संख्या--17

रजिस्ट्रेशन नम्बर--जी0--11/लाई0--
न्यूज पेपर/91/05--06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 14 फरवरी, 2007

माघ 25, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 148/79-वि-1-01(क)4-2007
लखनऊ, 14 फरवरी, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 फरवरी, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 28, सन् 1947 की धारा 4-ङ का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 4-ङ में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"(3) केवल ऐसा व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में नामांकन के लिए पात्र होगा जो राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा या उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो, या भारतीय प्रशासनिक सेवा, या राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) या राज्य श्रम सेवा का सदस्य हो या रहा हो और न्याय व्यवस्था का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव रखता हो।"

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 4-ङ की उपधारा (3) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का केवल ऐसा अधिकारी, जिसे श्रम विभाग में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव है और तीन वर्ष से अन्यून की अवधि के लिये न्याय व्यवस्था का अनुभव हो, उन व्यक्तियों की नामांकन सूची के लिये पात्र होगा जिन्हें श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सके। इस उपबन्ध के कारण श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के बहुत से पद ऐसे अधिकारियों के अभाव में नहीं भरे जा सके जैसी कि उक्त धारा में व्यवस्था है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार के श्रम विभाग में कार्य करने के तीन वर्ष के अनुभव की शर्त का लोप करने की व्यवस्था करके उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 148/LXXIX-V-1–1 (Ka)4-2007
Dated Lucknow, February 14, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Jhagara (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 13, 2007.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. Act no. 2 OF 2007)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 2007.

2. In section 4-E of the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947 *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:– Amendment of section 4-E of U.P. Act no. XXVIII of 1947

"(3) Only such person shall be eligible for enrolment in the lists prepared under sub-section (2) who is or has been a member of the State Higher Judicial Service or the Uttar Pradesh Nyayik Sewa, or is or has been a member of the Indian Administrative Service, or the State Civil Service (Executive Branch) or the State Labour Service and has experience of dispensation of justice for a period of at least three years."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (3) of section 4-E of the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947 *inter alia* provides that only such an officer of State Civil Service (Executive Branch) as has experience of working in the Labour Department for at least three years and has experience of dispensation of Justice for a period of not less than three years shall be eligible for enrolment list of persons who may be appointed presiding officer of a Labour Court or an Industrial Tribunal, due to this provision several offices of presiding officers of Labour Courts and Industrial Tribunal could not be filled for want of officers as provided in the said sub-section. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for omitting the condition of three vears experience of working in Labour Department of the State Government.

The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 3399 राजपत्र (हि०)–2007–(7204)–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 246 सा० विधायी–2007–(7205)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।